[भारत के राजपत्र,असाधारण के भाग ॥, धारा 3 के उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रयक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 39/2021 - सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 19 अगस्त 2021

सा.का.नि. _____(ई) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत के राजपत्र,असाधारण के भाग ॥, धारा 3 के उपखंड (i) में सा.का.नि. 413(ई) दिनांक 08.05.200 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 57/2000–सीमा शुल्क, दिनांक 08.05.2000 में आगे भी संशोधन करती है ।

2. उक्त अधिसूचना में तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित करती है, यथा:-

"बशर्ते यह भी कि, उन मामलों में जहां निर्यात की अंतिम तिथि 1 फरवरी, 2021 और 30 जून, 2021 के बीच आती है, निर्यात की अंतिम तिथि छह महीने के लिए बढ़ाई जाती है”।

(फा.संख्या DGEP / GnJ / 01/2021-TECH)

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 57/2000 –सीमा शुल्क, दिनांक 08 मई,2000 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, धारा 3, उपधारा (i) में जी.एस.आर.संख्या 413 (ई), दिनांक 08 मई,2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या 17/2021–सीमा शुल्क, दिनांक 17 फरवरी,2021 द्वारा संशोधित किया गया एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, धारा 3, उप–धारा(i)में जी.एस.आर संख्या 116 (ई), दिनांक 17 फरवरी 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया।